

माननीय राजस्व ५०७०, ८-८-१३

R - ५५५४-५५१३

१- सन्तोष पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार

आयु ३५ वर्ष, धन्या कृष्ण

२- पनोज पिता रामेश्वर पाटीदार

उम्र ३२ वर्ष, धन्या कृष्ण

३- सुनील पिता मदनलाल पाटीदार

आयु ३० वर्ष, धन्या कृष्ण

तोनां हो निवासी ५१, गोशपुरी, सजराना,
हंडौर

-- प्राथीर्गण

विवर

१- अनिल पिता राजपल पाटीनी

उम्र ५२ वर्ष, धन्या व्यापार

२- श्रीमती कोर्ति पति अनिल पाटीनी

उम्र ५० वर्ष, धन्या गुह्कार्य

दोनां निवासी ४०७, अमितेश नगर, हंडौर

-- प्रतिप्राथीर्गण

मा २७. ११. १३

मा २७. ११. १३

मा २७. ११. १३

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4554-II / 13

जिला इन्दौर

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
17-6-2015	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	